26

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०स०:–2/अ0प्र0–07–05/2022 13 /पटना, दिनांक :– 16.1.23

श्री फुलेश्वर रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया, कार्य प्रशाखा, सिकटी को निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना के गठित धावा दल के द्वारा दिनांक 03.08.2022 को रू० 40,000/–(चालीस हजार रूपया मात्र) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं निगरानी थाना कांड सं०–039/2022, दिनांक 02.08.2022, धारा–7(a)(b)(c)/12 भ०नि०अधि०, 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) एवं 120(बी) भा०द०वि० दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण कार्यालय आदेश संख्या–32 सह–पठित ज्ञापांक–1427 दिनांक 30.08.2022 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क)(ग) एवं 9(2)(क) के तहत दिनांक 03.08.2022 के प्रभाव से श्री रजक को निलंबित किया गया।

2. श्री रजक द्वारा कारा से रिहा होने के उपरान्त दिनांक 20.10.2022 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के प्रावधान के आलोक में श्री रजक का योगदान दिनांक 20.10.2022 के प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

4. चूँकि श्री रजक के विरूद्ध भ्रष्टाचार/कदाचार का आपराधिक मामला विचारण के अधीन है, साथ ही प्रश्नगत् मामले में श्री रजक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का भी निर्णय लिया गया है। अतएव बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क) एवं 9(1)(ग) के तहत श्री रजक को उनके योगदान किये जाने की तिथि 20.10.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक के लिये पुनः निलंबित किया जाता है एवं निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

5. निलंबन अवधि में श्री रजक को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10 के सुसंगत कंडिकाओं के अनुरूप अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. श्री रजक के विरूद्ध अग्रेतर अनुशासनिक कार्रवाई का आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

16/1/23

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–05/2022 173 /पटना, दिनांक :– 16.1.23

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, अररिया/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/23

अभियंता प्रमुख

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org,, E-mail:Secretary rwd bihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–05/2022 173 /पटना, दिनांक :– 16.1.23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, निगरानी विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग; कार्य अंचल, किशनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–12, ग्रामीण कार्य विभाग तथा श्री फुलेश्वर रजक, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अररिया, कार्य प्रशाखा, सिकटी सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/1/23
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–07–05/2022 173 /पटना, दिनांक :– 16.1.23

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/1/23
अभियंता प्रमुख